म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/लेखा/14–15/1694 भोपाल, दिनांक 8 जुलाई, 2015

–: आदेश:–

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत हितग्राहियों को जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत क्षतिपूर्ति सहायता राशि की स्वीकृति पश्चात म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा संबंधित जिला कलेक्टरों को राशि कार्यालयीन आदेश क्रमांक–बी–6/नियमन/विविध/3678 दिनांक 27.9.2008 के अनुसार प्रदत्त प्रत्यायोजित प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारी की व्याख्या की कंडिका–2 एवं आदेश क्रमांक/बोर्ड/वित्तीय/प्रशा.अधि/14–15/ 1324 दिनांक 07.03.2015 की कंडिका क्रमांक–70 के तहत वर्तमान में संयुक्त/उप संचालक द्वारा दावे के भुगतान की राशि विमुक्त/स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंर्तगत प्राप्त दावों के भुगतान की स्वीकृति क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान में विलंब तथा अन्य कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये प्रदत्त वित्तीय अधिकारों में उपयुक्त मद प्रतिस्थापित कर वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते है:–

क्रमांक	मद	प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित	प्रत्यायोजन की सीमा
63	मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 अंर्तगत कलेक्टर द्वारा स्वीकृत आदेश पर भुगतान जारी करना	जिला मुख्यालय स्थित मंडी के सचिव	पूर्ण अधिकार

जिला मुख्यालय स्थित मंडी के सचिव उक्त योजना अंतर्गत कलेक्टर से स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के तीन दिवस में जिला कलेक्टर कार्यालय को अपेक्षित राशि का भुगतान जमा कर आंचलिक कार्यालय से प्रतिपूर्ति प्राप्त करेंगे तथा संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड/वित्तीय/प्रशा.अधि/14–15/1324 दिनांक 07.03.2015 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारी की कंडिका क्रमांक–09 के तहत जिला मुख्यालय स्थित मण्डी सचिव को प्रतिपूर्ति करेंगे। जिला मण्डी सचिव प्रतिमाह प्रथम सप्ताह में उक्तानुसार प्राप्त आदेश एवं की गई भुगतान राशि और प्राप्त की गई प्रतिपूर्ति राशि का प्रतिवेदन आंचलिक कार्यालय के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड / लेखा / 14–15 / 1695 भोपाल, दिनांक 8 जुलाई, 2015

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय म.प्र. शासन भोपाल की ओर समाधान ऑन लाईन कॉन्फ्रेस दिनांक 7/07/2015 के निर्देश के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष, मंडी बोर्ड भोपाल।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त (समस्त संभाग).————————की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कलेक्टर समस्त————————की ओर लेख है कि उक्तानुसार योजनान्तर्गत जारी आदेश की प्रति जिला मुख्यालय स्थित मंडी के सचिव को उपलब्ध करा, भुगतान प्राप्त कर संबंधित हितग्राही को प्रदान करावें।
7. अपर संचालक, वित/योजना मंडी बोर्ड मुख्यालय की ओर उक्तानुसार व्यवस्था बनाने हेतु।
8. संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कायालय मंडी बोर्ड समस्त की ओर पालनार्थ।
9. सचिव, जिला मुख्यालय स्थित मंडी की ओर पालनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. अध्यक्ष/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, समस्त की ओर सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल